Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAWAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

फा.सं.सी/17/2009-एमपीलैड्स

Dated 17.09.2012

सेवा में,

आयुक्त,
निगम, कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली
सभी जिलों के कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त ।

विषय: एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में संशोधन- "वन एमपी – वन आइडिया" ।

महोदय/महोदया,

अगस्त, 2012 में जारी किए गए एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.36 और अनुबंध II क के पैरा 14, 14.1, 14.2 तथा अनुबंध-X, X-क, X-ख और X-ग का अधिक्रमण करते हुए, निम्नलिखित को अगस्त, 2012 के संशोधित एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में पैरा 3.36, 3.36.1 और 3.36.2 के रूप में प्रतिस्थापित किया जाए:-

"**3.36 वन एमपी- वन आइडिया**: नई खोज और विकास में आम आदमी सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के सहयोग का मार्ग अपनाने और स्थानीय समस्याओं के स्थायी और सुसाध्य समाधान हासिल करने के लिए, एक ऐसा अभियान चलाने की जरूरत है, जिसके जरिए चुनौतियां हल करने में समर्थ समाधान खोजे जा सकें । तदनुसार, विकासात्मक परियोजनाओं के बारे में स्थानीय लोगों से प्राप्त नए विचारों के आधार पर "वन एमपी – वन आइडिया" प्रतिस्पर्धा प्रत्येक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में हर वर्ष आयोजित की जा सकती है, ताकि नगद पुरस्कारों के लिए तीन सर्वश्रेष्ठ नए समाधान चुने जा सकें और अगले पांच सर्वश्रेष्ठ नए समाधानों के लिए प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान किए जा सकें । ये पुरस्कार माननीय सांसदों के विशेष अनुरोध पर उनके निर्वाचन क्षेत्र में इस स्कीम को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किए जाएंगे । नोडल ज़िला प्राधिकारी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन मंगाने के लिए समाचारपत्रों, रेडियो, टेलीविज़न आदि प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों के जरिए उद्घोषणा करवाएंगे । यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उद्घोषणा का ब्यौरा संबंधित वेबसाइट (वेबसाइटों) पर भी अपलोड कर दिया गया है । इस प्रतिस्पर्धा के तहत शिक्षा और कौशल, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, आवास और बुनियादी ढांचा, कृषि ऊर्जा, पर्यावरण, सामुदायिक तथा सामाजिक सेवाओं आदि के क्षेत्र में नए समाधान आमंत्रित किए जाएंगे । निर्वाचन क्षेत्र का कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का कोई समूह, उद्योग, उद्योग संगठन, शिक्षण संस्थान, गैर-सरकारी संगठन या अन्य संस्थान नए समाधान प्रस्तुत कर सकते है । आवेदन प्रस्तुत करने का प्रारूप अनुबंध-I में दिया गया है । सभी प्रविष्टियों के लिए जांच की प्रक्रिया एक जैसी होगी ।

3.36.1 एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जो सभी आवेदनों की जांच का कार्य करेगी । यह चयन समिति नोडल ज़िले के ज़िला कलेक्टर/ज़िला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित की जाएगी और इसमें आठ सदस्य होंगे जो (i) अभियांत्रिकी (ii) वित्त (iii) स्वास्थ्य और स्वच्छता (iv) शिक्षा क्षेत्र (v) उद्योग (vi) बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं से संबंधित होंगे तथा (vii) दो सदस्य सामाजिक क्षेत्र/गैर-सरकारी

संगठनों से माननीय सांसद द्वारा मनोनीत किए जाएंगे । अभियांत्रिकी, वित्त, स्वास्थ्य और स्वच्छता क्षेत्र के सदस्य जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मनोनीत किए जाएंगे तथा ये केंद्र/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों से संबंधित होने चाहिए । शिक्षा क्षेत्र, उद्योग एवं बैंक और वित्तीय संस्थाओं से संबंधित सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में विख्यात एवं विशिष्टता-प्राप्त होंगे तथा उन्हें जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मनोनीत किया जाएगा । चयन समिति नकद पुरस्कारों के लिए तीन सर्वश्रेष्ठ नए समाधान और प्रशंसा प्रमाणपत्र के लिए अगले पांच सर्वश्रेष्ठ नए समाधानों का चयन करेगी । यदि काफी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, माननीय सांसद के परामर्श से, संभावित आवेदनों की आरंभिक जांच हेतु एक जांच समिति का गठन कर सकते हैं ताकि आगे इनका मूल्यांकन चयन समिति द्वारा किया जा सके ।

3.36.2 प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेताओं को क्रमशः 2.5 लाख रु., 1.5 लाख रु. और 1 लाख रु. का नगद पुरस्कार दिया जाएगा । पुरस्कार राशि के अतिरिक्त, विज्ञापन जारी करने, बैठकें आयोजित करने, आदि सहित इन आयोजनों की व्यवस्था में होने वाले अन्य प्रशासनिक व्यय भी एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के तहत अनुमत्य होंगे, बशर्ते कि यह व्यय 5 लाख रु. की कुल पुरस्कार राशि के 10% अर्थात् 50,000 रु. से अधिक न हो । पुरस्कारों के लिए 5 लाख रु. की राशि और प्रशासनिक व्यय के लिए 50,000 रु. की कुल राशि एमपीलैड योजना से मुहैया करवाई जाएगी और इस स्कीम को प्रोत्साहित करने वाले सांसद की एमपीलैड्स निधि के नामे डाली जाएगी । यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह योजना नवाचार की भावना और जमीनी स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करने में सक्षम हो तथा बड़ी संख्या में सभी वर्गों के लोगों को शामिल करते हुए देश में नवाचार आंदोलन को गति प्रदान करे, इस पुरस्कार वितरण समारोह का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए । माननीय सांसद एक सार्वजनिक समारोह में इन पुरस्कारों का वितरण करेंगे जिसे पर्याप्त मीडिया कवरेज दिया जायेगा । अनुबंध II के अनुसार पुरस्कार विजेताओं को सम्मान प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे । अनुबंध III के अनुसार अगले पांच सर्वश्रेष्ठ नए समाधानों को प्रशंसा प्रमाण-पत्र भी दिए जाएंगे ।

2. इन अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाए ।

3. इसे माननीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

आर. राजेश

(आर. राजेश)

निदेशक(एमपीलैड्स)

सूचनार्थ प्रति प्रेषित:-

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी सम्बंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को, एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।

अनुबंध-I

वन एमपी - वन आइडिया

आवेदन-प्रस्तुति हेतु प्रपत्र

आवेदक का ब्यौरा

1	आवेदक	व्यक्ति /टीम / संगठन
2	आवेदक (नाम और व्यवसाय)	क. ख. ग.
3	आवेदक(कों) का पता	
4	आवेदक(कों) का टेलीफोन /मोबाइल /ईमेल	

अभिनव समाधान का ब्यौरा

5	अभिनव समाधान का नाम/शीर्षक		
6	अभिनव समाधान के प्रयोग का स्थान		
7	अभिनव समाधान के उपयोगकर्ता		
8	अभिनव समाधान का क्षेत्र	(क) शिक्षा और कौशल (ख) स्वास्थ्य (ग) कृषि (घ) जल एवं स्वच्छता (ड.) आवास एवं अवसंरचना	(च) ऊर्जा एवं पर्यावरण (छ) सामुदायिक एवं सामाजिक सेवा (ज) कोई अन्य क्षेत्र (कृपया स्पष्ट करें)
9	समस्या संबंधी विवरण (उस समस्या को वरीयता दी जाएगी जो आपके क्षेत्र में प्रमुख चुनौती के रूप में उपस्थित है)	क) समस्या क्या है? ख) यह - भौगोलिक एवं जनांकिकीय आधार पर- किसे प्रभावित कर रही है	
10	अभिनव समाधान का सार	क) प्रस्तावित समाधान का एक विस्तृत विवरण दें (यदि आवश्यक हो, यहां उपयुक्त शीर्षकों के साथ तालिकाओं, चित्रों और आंकड़ों को शामिल किया जा सकता है) ख) वह क्या है जो इस अभिनव समाधान को वर्तमान में अपनाए जा रहे अन्य समाधानों से अलग करता है? यदि वर्तमान में कोई अन्य समाधान उपलब्ध नहीं है, उन कारकों की चर्चा करें जो आपके अभिनव समाधान को एक वास्तविक समाधान के रूप में व्यवहार्य बनाते हैं । ग) पहले प्राप्त किए गए पुरस्कारों/मान्यताओं का ब्यौरा	

11	अभिनव समाधान का कार्यान्वयन	क) अपने अभिनव समाधान को अधिक कारगर बनाने एवं प्रयोगकर्ताओं के लिए सुलभ बनाने हेतु, क्या आपको निम्नलिखित में से किसी की आवश्यकता है: i. वित्तपोषण ii. प्रोटोटाइपिंग में सहायता iii. अनुसंधान एवं विकास संबंधी सहायता iv. साझेदारी v. विपणन एवं विक्रय में सहयोग ख) कार्यान्वित किए जाने पर इस समाधान का संभावित प्रभाव क्या होगा?
12	स्थिति	(क) कृपया प्रस्तावित समाधान की वर्तमान स्थिति का विवरण दें i. विचार के चरण में ii. प्रोटोटाइप iii. क्षेत्र ट्रायल/पायलट (कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें) iv. पहले से बाजार में है (कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें) (ख) यदि इसे पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है, कृपया 500-800 शब्दों में ब्यौरा प्रस्तुत करें और संगत दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें ।
13	बौद्धिक संपदा अधिकार	(क) कृपया सूचित करें क्या आपके द्‌वारा अथवा किसी अन्य के द्‌वारा, प्रस्तावित अभिनव समाधान का पेटेंट कराया गया है तथा/अथवा यह बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत आता है । इस आशय का एक शपथ पत्र संलग्न करें । (यदि उत्तर नहीं जानते हैं तो इसकी सूचना दें)
14	व्यवसाय मॉडल	(क) यदि आप अपने अभिनव समाधान के वाणिज्यीकरण के विषय में सोच रहें हैं और इसके लिए वित्तीय सहायता की अपेक्षा करते हैं, कृपया निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें: i. संक्षिप्त व्यवसाय योजना ii. विशिष्ट बाजार एवं भौगोलिक खंड जिन्हें आपके समाधान से सहायता मिलेगी iii. अभी तक प्राप्त किसी वित्तपोषण का ब्यौरा (सरकार, वेंचर कैपिटलिस्ट, परिवार आदि के माध्यम से) iv. वित्तपोषण (उधार सहित) जिसकी अपेक्षा आप फिलहाल कर रहे हैं और इन निधियों का उपयोग करने की आपकी योजना क्या है । कृपया अगले तीन वर्षों के लिए अपनी वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं के भावी अनुमान को प्रस्तुत करें, जिसमें अनुमानित नकद प्रवाह शामिल हों ।

v. यदि आप किसी नए वेंचर की योजना बना रहे हैं, कृपया वित्तीय अनुमान, अपेक्षित निवेश, निधियों के उपयोग हेतु योजना, राजस्व मॉडल तथा प्रगति/उन्नयन हेतु मॉडल प्रस्तुत करें ।

टिप्पणियां:

क) मद 1-13 अनिवार्य हैं, जबकि मद 14 वैकल्पिक है ।

ख) 'वन एमपी - वन आइडिया' प्रतिस्पर्द्धा में पुरस्कार राशि को छोड़कर वाणिज्यीकरण के लिए कोई वित्तीय सहायता मुहैया नहीं करवाई जाएगी ।

ग) कृपया आवेदन पत्र के साथ अपने अभिनव समाधान के बारे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भेजें । यह दस्तावेज, फोटोग्राफ, वीडियो, समाचारपत्र की क्लिपिंग इत्यादि के तौर पर हो सकता है ।

घ) कृपया आवेदक (आवेदकों) का संक्षिप्त जीवनवृत्त संलग्न करें ।

ङ) इस प्रतिस्पर्द्धा में हिस्सा लेकर आवेदक, प्रतिस्पर्द्धा द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने की सहमति देता है ।

च) कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं होने की स्थिति में, संभव है किसी वर्ष-विशेष में पुरस्कार नहीं भी दिया जाए ।

छ) चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा और इस प्रतिस्पर्द्धा से जुड़े सभी मामलों पर बाध्यकारी होगा ।

स्थान:

तिथि:

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

घोषणा

(मैं घोषणा करता हूँ/हम घोषणा करते हैं कि यह अभिनव समाधान हमारा मूल योगदान है । मैंने/हमने प्रतिस्पर्द्धा के दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने की सहमति देते हैं ।)

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

अनुबंध-II

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

सम्मान प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी... सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी .... ने (निर्वाचन क्षेत्र/राज्य का नाम) ....में आयोजित वन एमपी-वन आइडिया प्रतिस्पर्द्धा में भाग लिया है ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... को प्रथम पुरस्कार/द्‌वितीय पुरस्कार/तृतीय पुरस्कार के रूप में .... रुपए की नकद धनराशि एतदद्‌वारा प्रदान की जाती है ।

3. समस्या/समाधान का ब्यौरा ....

....

....

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

दिनांक:

<u>अनुबंध-III</u>

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

<u>प्रशंसा प्रमाणपत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी .... ने (निर्वाचन क्षेत्र/राज्य का नाम) ....में आयोजित वन एमपी-वन आइडिया प्रतिस्पर्द्धा में भाग लिया है ।

2. यह प्रशंसा प्रमाणपत्र वन एमपी-वन आइडिया प्रतिस्पर्द्धा के अंतर्गत नवीन समाधान उपलब्ध कराने के लिए किए गए उनके प्रयासों के सम्मान में उन्हें एतदद्वारा प्रदान किया जाता है ।

3. समस्या/समाधान का ब्यौरा ....

....

....

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

दिनांक: